भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4448
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2014/17 श्रावण, 1936 (शक) को दिया गया)

गैर-सरकारी संगठनों के लिए अंशदान

4448. श्री बी. श्रीरामुलु :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंपनियों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों/सामाजिक कल्याण समितियों के लिए अंशदान के संबंध में कानून के विद्यमान उपबंधों और सरकार के अन्य सांविधिक निदेशों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कंपनियों द्वारा लेखापरीक्षा और संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत अपने तुलन पत्रों में इसे दर्शाना आवश्यक होता है;
(ग) क्या कारपोरेट क्षेत्र ने सरकार से अनुरोध किया है कि इन प्रथा को समाप्त किया जाए; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (घ) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 181 में उल्लिखित है कि किसी कंपनी का निदेशक मंडल प्रमाणित व धर्मार्थ कोषों और अन्य कोषों में अंशदान कर सकता है। लेकिन किसी वित्तीय वर्ष में यदि ऐसी राशि जिसका कुल योग तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों में हुए उसके

औसत निवल लाभ के पांच प्रतिशत से अधिक हो तो आम सभा में कंपनी की पूर्व अनुमति लेनी अपेक्षित है। कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी ऐसे अंशदान के लिए कंपनी द्वारा किया गया कोई भी अंशदान कंपनी के खातों में दर्शाया जाना चाहिए। सरकार को इस मानक लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन के लिए कहीं से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****